' इकाई के रुप में ग्राम का बहुत महत्व था । इस ग्राम संघ में कभी गाँव एक और कभी एक से अधिक गाँव भी रहते थे और इनमें से प्रत्येक गाँव की अपनी एक सभा रहती थी ।'[१]

' एक गाँव का एक ही मुखिया होता था । वैदिक साहित्य में इसे ग्रामीण कहते थे ।'[२]

' ग्राम संघ एक राज्य की सी शक्ति रखता था । गंभीर अपराधों के मुकदमों और दण्ड को छोड़कर ग्राम के सारे झगडे और मुकदमों का फैसला ग्राम संघ ही करता था । उसे जनता से कर लेने का अधिकार प्राप्त था । ग्रामीणों से बेगार भी ले सकता था ।'[३]

' साधारणतया एक ग्राम का एक ही मुखिया होता था । वैदिक साहित्य में इसे ग्रामणी,ई.पू.उत्तर भारत में ही ' ग्रामिक ' अथवा ' ग्रम्येक ' और पूर्व दक्षिण में मुनुन्द ' कहते थे । उत्तर प्रदेश में यही ' महत्तक ' अथवा ' महन्तक ' कहलाता था । महाराष्ट्र में इसे ही ' ग्राम कूट ' अथवा ' पत कील ' और कर्नाटक में ' गावुन्द ' कहते थे । उसका पद मौरुसी होता था । इसकी जाति प्राय: क्षत्रिय अथवा वैश्य होती थी । सेना का नायक भी यही ग्रामणी होता था ।[४]

---

१ आर.सी.मजूमदार : ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.४२१
सुंदरलाल जैन, मोतीलाल बनारसीदास,बंगला रोड, जवाहर नगर,दिल्ली-६,पाँचवीं आवृत्ति - १९६८

२ बी.एन.लुनिया : लाईफ अैन्ड कल्चर इन ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.८२
लक्ष्मी नारायण अग्रवाल,हॉस्पीटल रोड,आगरा-३
प्रथम संस्करण - १९७८

३ बी.एन.लुनिया : लाईफ अैन्ड कल्चर इन ऐन्शेन्ट इंडिया - पृ.८२
लक्ष्मी नारायण अग्रवाल,हॉस्पीटल रोड,आगरा-३,
प्रथम संस्करण - १९७८

४ डॉ.ए.एस.अल्तेकर : स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन ऐन्शेन्ट इण्डिया
पृ.२२५-२२६, मोतीलाल बनारसीदास,पब्लिशर्स अैण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड, जवाहरनगर,दिल्ली-६
तृतीय संस्करण - १९५८

" पीने का पानी और सिंचाई का ग्राम संघ की ओर से विशेष प्रबंध होता था।"[१]

" डाकुओं और शत्रुओं से ग्रामीणों की रक्षा ग्रामसंघ करता था। यदि ग्राम संघ ग्रामीणों की रुचि के विरुध्द कुछ करता या तो वह " ग्रामद्रोही " कहलाता था। और उसे " शिव " को छुने नहीं दिया जाता था।"[२]

" शत्रुओं और हिंस्र प्राणियों से ग्रामीणों की रक्षा के लिए ग्राम के बाहर गोलाकार दीवार बैंधी जाती थी।"[३]

अल्तेकर के मतानुसार --

" ग्रामसंघ के शासन की सबसे बडी शासन सत्ता जत्था थी। गाँव की अपनी सभायें होती थी और राजधानी की केन्द्रिय सभा थी जो कि समिति कहलाती थी।"[४]

यद्यपि वैदिक काल में इन सभा और समितियों की चर्चा काफी मिलती है पर दोनों में मूलत: भेद क्या है बतलाना कठिन है।

उपर्युक्त चर्चा से हम कह सकते है कि वैदिक काल में ग्राम ही समिति का आधार थे। ग्रामों की इतनी सुदृढ व्यवस्था से अनुमान होता है कि अवश्य ही उस समय भी ग्राम-समस्यायें रही होंगी। इसी कारण ग्राम समाओं का प्रबंध इतना दृढ था।

---

१ बी.एन.लुनिया : लाईफ अॅन्ड कल्चर इन ऐन्शेन्ट इंडिया - पृ.८९ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, हॉस्पीटल रोड, आगरा-३ प्र.सं.१९७८

२ आर.सी.मजूमदार : ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.४२२ सुंदरलाल जैन, मोतीलाल बनारसी दास, बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली -६, ५वीं आवृत्ति-१९६८

३ बी.एन.लुनिया : लाईफ अॅन्ड कल्चर इन ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.८९ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, हॉस्पीटल रोड, आगरा-३, प्रथम संस्करण - १९७८

४ डॉ.ए.एस.अल्तेकर : स्टेट अॅण्ड गवर्नमेन्ट इन ऐन्शेन्ट इंण्डिया - पृ.२२७, मोतीलाल बनारसीदास, पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-६, तृतीय संस्करण-१९५८

रामायण-महाभारत काल में ग्राम --

इस युग की सबसे अधिक प्रमाणित सामग्री पाणिनी की अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है।

' इस युग में नदी, टीले, जंगल और चट्टानी स्थान ग्रामों के आस-पास की भूमि की विशेषतायें समझी जाती थी। किसान के घर कुटीर कहलाते थे।'[१]

' खेतों की भूमि अलग-अलग टुकड़ों में बटी थी। प्रत्येक टुकड़ा क्षेत्र कहलाता था।'[२]

' खेतों की नाप जोख करने के लिए क्षेत्रकर कामक अधिकारी होता था।'[३]

---

१ पाणिनी : अष्टाध्यायी, अध्याय-५, प्रकरण-३, पद-८८ - पृ.९७२ संपादक और अँग्रेजी में अनुवादक : लेटे श्रीसाचन्द्रवासु भाग-२, मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, ए अलहा मार्ग, जवाहर नगर दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति, अलाहाबाद-१९८१, पुनर्मुद्रित-दिल्ली, १९६२, १९७७

२ पाणिनी : अष्ठाध्यायी, अध्याय-५, प्रकरण-२, पद-१ - पृ.८९७ संपादक और अँग्रेजी में अनुवादक, लेट श्रीसाचन्द्र वासु, भाग-२, मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुक-सेलर्स, ए अलाहा मार्ग, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति अलाहाबाद- १९८१, पुनर्मुद्रित-दिल्ली-१९६२, १९७७

३ पाणिनी : अष्टाध्यायी, अध्याय-३, प्रकरण-२, पद-२१ - पृ.४१६ संपादक और अँग्रेजी में अनुवादक : लेट श्रीसाचंद्र वासु, भाग-२, मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, ए अलहा मार्ग, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति अलाहाबाद - १९८१, पुनर्मुद्रित- दिल्ली-१९६२, १९७७.

' किसानों के तीन प्रकार थे -- अहिल, जिसके पास निज का हल न हो, सुहल - सुहलि, जिनके पास बढिया हल हो, कुहल-कुहलि जिनके हल पुराने पड़कर घिस गए हों।'[१]

' कृषक के जीवन में बैल का महत्वपूर्ण स्थान था। बछड़ों को बैल और बछड़ों के समूह को वात्सक कहते थे। जिस स्थान में बछड़े रक्खे जाते थे उसे वत्सशाला कहते थे।'[२]

इन सब बातों से ज्ञात होता है कि पाणिनी के समय ग्रामीण जीवन का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में समुचित विकास हो चुका था।

' जनपदों का नामकरण उसमें बसनेवाले जनपद दिन क्षत्रियों के अनुसार थे। जैसे पंचालों के सन्निवेश का स्थान पंचाल कहलाया।'[३]

---

१ पाणिनी : अष्टाध्यायी, अध्याय-३, प्रकरण-३, पद-१२३, पृ.४२८
संपादक और अंग्रेजी में अनुवादक - लेट श्रीसाचंद्र वासु, भाग-२,
मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स,
ए अलहा मार्ग, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति,
अलहाबाद - १८९१, पुनर्मुद्रित - दिल्ली-१९६२, १९७७

२ पाणिनी : अष्टाध्यायी, अध्याय-४, प्रकरण-३, पद-३६, पृ.७६२
संपादक और अंग्रेजी में अनुवादक, लेट श्रीसाचंद्र वासु, भाग-२
मोतीलाल, बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड
बुकसेलर्स ए अलहा मार्ग, जवाहर नगर दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति,
अलहाबाद १८९१ पुनर्मुद्रित - दिल्ली-१९६२, १९७७

३ पाणिनी : अष्टाध्यायी, अध्याय-४, प्रकरण १, पद-१६८, पृ.६९१
संपादक और अंग्रेजी में अनुवादक - लेट श्रीसाचंद्र वासु, भाग-२
मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड
बुकसेलर्स, ए अलहा मार्ग, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति
अलहाबाद-१८९१, पुनर्मुद्रित-दिल्ली-१९६२, १९७७

" मुख्यतः राजाधीन और गणाधीन दो प्रकार के जनपद थे। प्रत्येक जनपद में एक सभा और एक परिषद होती थी। सभा राजाधीन जनपदों में राजा के नाम से प्रसिध्द थी जैसे चन्द्रगुप्त सभा, पुष्य मित्र सभा। गण राज्यों में सभा का विस्तार अधिक व्यापक था।"[१]

इससे स्पष्ट होता है कि पाणिनी के समय में पंचायत का स्वरुप निर्मित हो चुका था। जो अधिकार और शक्ति उस समय ग्रामणी अथवा गाँव के मुखिया को थे वही आज के शासन यंत्र में सरपंच को प्राप्त है। आधुनिक ग्राम पंचायतों का ढाँचा भी प्राचीन युग के आधार पर ही अवलंबित है।

बौध्द युग में ग्राम --

" ग्राम का शासक ग्राम योजक कहलाता था। ग्राम योजक वंश परंपरा से अथवा ग्राम समिति व्दारा नियुक्त किया जाता था।"[२]

" गाँव के समीप उपजाऊ भूमि होती थी। गाँव के चारों ओर वन तथा उपवन होते थे। गोचर भूमि होती थी। वहाँ गोपालक ग्राम के संपूर्ण पशुओं को मजदूरी लेकर चराता था। गोचर भूमि पर ग्राम का अधिकार होता था।"[३]

---

१ पाणिनी : अष्टाध्यायी, अध्याय-४, प्रकरण-१, पर-१६८, पृ.६९१
संपादक और अंग्रेजी में अनुवादक : लेट श्रीसाचंद्र वासु, भाग-२
मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स,
ए अलहा मार्ग, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति अलहाबाद-१९८१
पुनर्मुद्रित-दिल्ली-१९६२, १९७७

२ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ एन्शान्ट इण्डिया - पृ.१०५
मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला-रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम संस्करण दिल्ली, १९४२
पुनर्मुद्रित - १९६०, १९६७, १९७७

३ राम शंकर त्रिपाठी - हिस्ट्री आफ एन्शेन्ट इण्डिया - पृ.१०४
मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स,
बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम संस्करण दिल्ली-१९४२
पुनर्मुद्रित - १९६०, १९६७, १९७७

" प्रत्येक गृहस्थ की जोत के चारों ओर नाली से सीमा बँधी जाती थी। उसी कारण भूमि के छोटे-छोटे क्षेत्र थे।"[१]

" राजा को किसानों की ओर से कुल पैदावार में से $\frac{१}{७}$ से $\frac{१}{१२}$ तक भूमिकर अपने ग्राम्योजक के माध्यम से प्राप्त होता था।"[२]

" ग्राम समिति की अनुमति के बिना कोई भी कृषक अपनी भूमि को बेच नहीं सकता था या गिरवी नहीं रख सकता था।"[३]

---

१ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.१०४
मोतीलाल बनारसीदास,इन्डोलॉजिकल पब्लिसर्स एण्ड बुकसेलर्स,बंगला रोड,जवाहर नगर,दिल्ली-७, प्रथम संस्करण - दिल्ली- १९४२, पुनर्मुद्रित १९६०,१९६७,१९७७

२ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ एन्शेन्ट इण्डिया - पृ.१०५
मोतीलाल बनारसीदास,इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स अैण्ड बुकसेलर्स,बंगला रोड, जवाहर नगर - दिल्ली ७, प्रथम संस्करण दिल्ली १९४२, पुनर्मुद्रित १९६०,१९६७, १९७७

३ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.१०५
मोतीलाल बनारसीदास,इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम संस्करण दिल्ली - १९४२, पुनर्मुद्रित १९६०,१९६७, १९७७

" बौध्द साहित्य में बहुत कम नगरों का उल्लेख मिलता है। जैसे वाराणसी, राजगृह, कौसांबी, सावथी, वैसाली, कम्पा, तकशिला, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा आदि।"[१]

" बहुत बडी बाढ आनेपर तथा दुर्भिक्ष्य पडने पर लोगों की दयनीय दशा हो जाती थी। ऐसे अवसरों पर राजा जनता की सहायता करता था।"[२]

चाणाक्य कालीन भारत में ग्राम --

इस युग के जीवन के प्रत्येक पक्ष का चाणक्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन मिलता है।

" जनपद के मध्य में तथा सीमा पर जैसे स्थान हों जहाँ स्वदेशी निवासी तथा परदेश से आने वालों के लिए पर्याप्त धान्य आदि पैदा हो सके। जिसके आसपास के राजा दुर्बल हो जो कीचड कंकड, ऊसर, विषम, चोर, जुआरी, हिंसक पशु और घने जंगलों सहित हो। नदी और तालाब हो, खेती और खान की सुविधा हो।"[३]

---

१ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.१०५ मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड, जवाहरनगर दिल्ली-७, प्रथम संस्करण, दिल्ली-१९४२, पुनर्मुद्रित १९६०, १९६७, १९७७

२ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.१०५ मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशअर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्रथम आवृत्ति दिल्ली-१९४२, पुनर्मुद्रित १९६०, १९६७, १९७७

३ कौटिल्य अर्थशास्त्र : ज.स.करंदीकर, ब.रा.हिवरगांवकर, (पूर्वार्ध मूल संस्कृत व संपूर्ण मराठी अनुवाद) अधिकरण -२, अध्याय-२२, पृ.२३, मुंबई वैभव प्रेस सर्व्हेंटस आफ इण्डिया सोसायटीज, बिल्डिंग, सैंढर्स्ट रोड, गिरगांव, मुंबई-४, सन १९२७

' ग्रामों को सुंदर और व्यवस्थित रूप देने के लिए ग्राम का प्रत्येक निवासी प्रयत्नशील रहता था । सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थानीय संस्थायें करती थी । जलाशय आदि के लिए भूमि, नहर आदि के लिए मार्ग, आवश्यक लकडी आदि सामान देकर राजा को उपकार करना चाहिए । पुण्य स्थान देवालय, बाग-बगीचे बनाने में भी प्रजा जनों को राजा की ओर से पूरी सहायता मिलती चाहिए ।'[१]

' राजा की ओर से कृषकों को सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थी । कौटिल्य ने आदेश दिया है कि किसानों को जो जमीन दी जाय वह फिर छिनी न जाय । यदि उसपर वह किसान खेती न करे तो दूसरे खेतीहर को दे ही जाय या उससे दण्ड लिया जाय । बढई, लुहारों को भी खेती करने के लिए भूमि देने का आदेश है ।'[२]

' किसानों तथा अन्य ग्राम वासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनुग्रह दान तथा औषधालय आदि खोलने के लिए राजा धन आदि देता था ।'[३]

---

१ कौटिल्य अर्थशास्त्र : ज.स.करंदीकर, ब.रा.हिवरगांवकर
(पूर्वार्ध मूल संस्कृत व संपूर्ण मराठी अनुवाद)
अधिकरण -२, अध्याय - २२, पृ.२३,
मुंबई वैभव प्रेस, सर्व्हन्टस आफ इण्डिया
सोसायटीज, बिल्डिंग, सैंढर्स्ट रोड, गिरगांव,
मुंबई-४, सन १९२७

२ कौटिल्य अर्थशास्त्र : ज.स.करंदीकर, ब.रा.हिवरगांवकर
(पूर्वार्ध मूल संस्कृत व संपूर्ण मराठी अनुवाद)
अधिकरण - २, अध्याय -२२, पृ.२३, मुंबई वैभव -
प्रेस, सर्व्हन्टस आफ इण्डिया सोसायटीज, बिल्डिंग,
सैंढर्स्ट रोड, गिरगांव, मुंबई-४, सन १९२७

३ कौटिल्य अर्थशास्त्र : ज.स.करंदीकर, ब.रा.हिवरगांवकर
(पूर्वार्ध मूल संस्कृत व संपूर्ण मराठी अनुवाद)
अधिकरण-२, अध्याय-२२, पृ.२४,
मुंबई वैभव प्रेस, सर्व्हन्टस आफ इण्डिया सोसायटीज
बिल्डिंग, सैंढर्स्ट रोड, गिरगांव, मुंबई-४,
सन १९२७

इस चर्चा से ज्ञात होता है कि राजा किसानों के स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखता था और राज्य की उन्नति में कृषक का महत्व समझता था।

"क्षुधा पीड़ितों को उचित वेतन देकर दुर्ग और सेतु निर्माण करे, कष्ट के समय जो काम करने असमर्थ हैं उन्हें दूसरे प्रदेश में भेज दिया जाय, अपने मित्र राज्यों से सहायता ले, धनवानों पर भारी कर लगाये, चंदा ले और आवश्यकता होने पर राजा जनपद सहित समुद्र या नदी किनारे चला जाय जहाँ फल मूल आसानी से उग सके और खाने योग्य मांस मिल सके।"[१]

सारांश यह कि कौटिल्य ने जो व्यवस्था बताई है उससे राज्य में भूख या बेकारी की समस्या उपस्थित होने की संभावना न रही होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहता था, इस व्यस्तता से एक कर्मठ और कर्तव्यशील जीवन विकसित होता था और साथ ही देश को समृध्द और उन्नत बनाने में भी सहयोग मिलता था।

गुप्त काल में ग्राम --

भारतीय इतिहास में गुप्त काल स्वर्ण-युग माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश में जो अव्यवस्था और अशान्ति फैली वह गुप्त युग के उदय के पूर्व तक विद्यमान रही। किन्तु गुप्त वंश के शक्तिमान और उदीयमान सम्राट, देश में धार्मिक सहिष्णुता, साहित्य, कला, विज्ञान, शासन आदि की समुचित व्यवस्था करके दीर्घ काल तक देश का गौरव बढ़ाते रहे। गुप्त काल की सर्वतोमुखी सांस्कृतिक प्रगति में उस समय की ग्राम शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था।

---

१ कौटिल्य अर्थशास्त्र - ज.स.करंदीकर, ब.रा.हिवरगांवकर (पूर्वार्ध मूल संस्कृत व संपूर्ण मराठी अनुवाद) अधिकरण-२, अध्याय-२२, पृ.२५, मुंबई वैभव प्रेस, सर्व्हन्टस ऑफ इण्डिया सोसायटीज बिल्डिंग, सँढर्स्ट रोड, गिरगांव, मुंबई-४, सन १९२७

` राजा को ईश्वर के समान माना जाता था । यह पद वंश परंपरागत था । राजा अपने आमात्यों की सहायता से शासन कार्य करता था ।`[१]

` साम्राज्य प्रान्तों में बटा था जिन्हें देश या मुक्तिज कहते थे । प्रान्तीय शासक के लिए अधिकतर उपरिका महाराज कहा जाता था । उपरिका महाराज को समिति सहायता करती थी ।`[२]

` पुस्तपाल खेतों की संपूर्ण जानकारी रखता था । खेतों के क्रय-विक्रय में पुस्तपाल की अनुमति लेनी पड़ती थी ।`[३]

` केन्द्रिय और प्रान्तीय शासन प्रबंध में सबसे छोटी और महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था ग्राम की थी । ग्राम के मुखिया को ग्रामिका या ग्रामाध्यक्ष कहा जाता था । ग्रामाध्यक्ष की सहायता के लिए लोगों की एक पंचायत या पंचमंडली होती थी । ग्राम में सुव्यवस्था और शान्ति बनाये रखने के लिए पंचायत या

---

१ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.२५७ मोतीलाल बनारसीदास,इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स अॅण्ड बुकसेलर्स बंगला रोड, जवाहर नगर,दिल्ली-७, प्र.सं.दिल्ली १९४२, पुनर्मुद्रित १९६०,१९६७,१९७७

२ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.२५७ मोतीलाल बनारसीदास,इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली -७,प्र.सं.दिल्ली-१९४२, पुनर्मुद्रित - १९६०,१९६७, १९७७

३ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.२५७ मोतीलाल बनारसीदास,इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड,जवाहर नगर, दिल्ली-७,प्र.सं.दिल्ली - १९४२, पुनर्मुद्रित १९६०,१९६७,१९७७

पंचमंडली ग्रामिका की सहायता करती थी ।"[१]

" यह स्थानीय सभा ही ग्राम सभा या पंचायत की तरह रही होगी । अल्तेकर के अनुसार यही ग्राम सभायें मध्यभारत में " पंचमंडली " और बिहार में " ग्राम जनपद " कहलाती थी । "[२]

" उत्पादन का प्रमुख साधन जमीन से उपज का कर था । उसे भोग कर कहा जाता था । खेतीहर जमीन से उपज का प्राय: $\frac{1}{6}$ प्रतिशत भाग राज्य कर के रुप में लिया जाता था । उपज अच्छी न होने पर कर अपने आप कम हो जाता था । संकट के समय मंदिरों की ओर से भी कर लिया जाता था । "[३]

---

१ राम शंकर त्रिपाठी : हिस्ट्री आफ एन्शेन्ट इण्डिया - पृ.२५८
मोतीलाल बनारसीदास, इन्डोलॉजिकल पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स, बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७, प्र.सं.दिल्ली १९४२, पुनर्मुद्रित १९६०,१९६७,१९७७

२ डॉ.ए.एस.अल्तेकर : स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन ऐन्शेन्ट इण्डिया - पृ.२२९, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स बंगला रोड, जवाहर नगर,दिल्ली-६, तृ.आवृत्ति, १९५८

३ बी.एन.लुनिया : इन्शेल्युशन आफ इण्डियन कल्चर - पृ.२२८
लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, इज्युकेशन पब्लिशर्स, आगरा -३, ७ वाँ संस्करण - १९७७

"इस समय शिल्प, स्थापत्य, चित्र, हस्तवंती काम, स्वर्ण काम, नाव तैयार करना आदि महत्वपूर्ण काम किये जाते थे।"[१]

मुगल काल में ग्राम --

मुसलमानों के संकीर्ण व्यवहार और पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने पर भी ग्रामीण जीवन की दिनचर्या में विशेष अन्तर नहीं आया। उस समय भी ग्रामीण जनता खेती तथा घरेलु उद्योग धंदे करके अपना जीवन यापन करती थी।

"मुगल काल का अधिकांश वर्णन अकबर के समय की प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। जहाँ तक ग्रामों का सम्बन्ध है ग्रामों की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता।"[२]

"कुछ मुगल बादशाह हिन्दू जनता के निकट न आ सके। उन्होंने स्थानीय जागीरदारों, जमींदारों को मनमाना शासन करने दिया और स्वयं केवल कर प्राप्त करने वाले बने रहे।"[३]

"मुगल सम्राटों ने ग्राम जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ग्राम संघ अपनी परंपरानुसार काम करते रहे। ग्रामों की रक्षा का सारा भार स्थानीय चौकीदारों पर था जिसकी नियुक्ति और वेतन उस ग्राम के ग्रामीण ही करते थे।"[४]

---

१ बी.एन.लुनिया : इवोल्युशन आफ इण्डियन कल्चर - पृ.२३२
लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, एज्युकेशन पब्लिशर्स, आगरा-३, ७ वाँ संस्करण-१९७७

२ यदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन प पृ.१४
एम.सी.सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, द्वितीय सं.१९२४

३ यदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन - पृ.१५
एम.सी.सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, द्वितीय सं.१९२४

४ यदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन - पृ.५५
एम.सी.सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, द्वितीय सं.१९२४

" राज्य और कृषक का इतना ही सम्बन्ध था कि कृषक बराबर कर देता जाय और जब तक नियमित रूपसे वह कर देता रहता था उसे किसी प्रकार भी छेड़ा नहीं जाता था।"[१]

मुगल शासन काल में युध्द और आक्रमण इतने अधिक होते थे कि सारी शक्ति और धन केन्द्रिय शासन और सेना को संगठित करने में व्यय हो जाता था। इसी कारण मुगल शासक ग्रामों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके।

यद्यपि इन बादशाहोंने व्यवस्था करने का प्रबंध ठीक ही किया था किन्तु केंद्रिय सरकार और ग्राम के मुखिया का सीधा सम्बन्ध न होने के कारण ग्रामों पर केंद्रिय व्यवस्था का कुछ प्रभाव न पड सका।

" मालगुजारी करने के लिए करोडी की नियुक्ति हुई। उसे उन कृषकों से कर वसूल करने की मनाही थी। जो देने में असमर्थ हो अथवा जिनके भाग जाने का डर हो।"[२]

" अमीन करोडी की सहायता करता था। फसल के दस वर्ष के पहले के कागजात कानूनगो से लेकर और गाँवों में दौरे करके वह ग्रामीणों की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करता था। खेतिहर भूमि का क्षेत्र, हलों की संख्या, तकावी, बीज, बैल, पुचलिका आदि की व्यवस्था करता था।"[३]

" औरंगजेब के समय भूमि कर वसूल करनेवाला" अमीन" होता था। उसे निर्देश था कि वह किसानों के साथ होशियारी और चतुराई से व्यवहार करके पैदावार बढाने की चेष्टा करे। किसानों को आवश्यकता पडनेपर हल, बैल, बीज

---

१ यदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन - पृ.५६
एम.सी.सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण-१९२४

२ युदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन - पृ.२१५
एम.सी.सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण-१९२४

३ यदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन - पृ.८८
एम.सी.सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता,
द्वितीय संस्करण-१९२४

के लिए तकावी दी जाती थी। पर सख्ती होती थी। खेतिहर भूमि यदि खाली पडी हो तो जोत में ले ली जाती थी। भूमिकर और शेअर की वसूली में अमीन अपनी मन मानी करता था।'[१]

अंग्रेजी शासन काल में ग्राम --

अंग्रेजों का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य शोषण करना था। यह शोषक इतना बढ गया कि मजदूरी करनेवाला मजदूर भी भूखा मरने लगा। अत्याचार और अकाल ने उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का -हास कर दिया। सबसे बडा अभिशाप अंग्रेजों से हमारे देश को मिला वह है जमींदारी प्रथा।

' एक ओर यहाँ के कृषक अधिकार हीन और निर्बल बना दिए गये और अपने विदेशी भाईयों को कहवा, चाय, जूट और नील की खेती करने के अधिकार देकर यहाँ के कृषकों पर भारी अत्याचार किये गये।'[२]

' पहले ये जमींदार एक प्रकार से मुसलमान सरकार के एजण्ट होते थे, जो मालगुजारी वसूल करते थे, भूमि पर जिनका कोई अधिकार नहीं था। कालान्तर में उनका पद वंश गत हो गया और उन्होंने जमीन पर भी कुछ अधिकार पा लिये। लगान की दर सब जगह एक सी नहीं थी जिससे किसानों को बहुत कष्ट होता था।'[३]

---

१ यदुनाथ सरकार : मुगल एडमिनिस्ट्रेशन - पृ.८८-८९
एम.सी.सरकार एण्ड़ सन्स, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण- १९२४

२ डॉ.ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्यायें - पृ.५७
जवाहर पुस्तकालय, सदर बाजार, मथुरा-२,
प्रथम संस्करण - १९७९

३ डॉ.ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्यायें - पृ.५८
जवाहर पुस्तकालय, सदर बाजार, मथुरा-२,
प्रथम संस्करण- १९७९

"अंग्रेजों से पहले जितने भी राज्य और शासक हुए वे सब ग्राम पंचायतों को अपना सहायक समझते थे किन्तु अंग्रेजों ने भारत पर एक छत्र राज्य करने की महत्वकांक्षा से इन पंचायतों की जानबूझ कर अवहेलना की और इनके संगठन को छिन्न-भिन्न कर दिया। इनकी न्याय पध्दति पर कुठराघात करके भारतीय ग्राम ही नहीं वरन यहाँ की अधिकांश जनता की सामाजिक और आर्थिक दृढता को शिथिल बना दिया।"[१]

"ताजीरात हिन्द के कानूनी नियमों ने देश की रही सही शक्ति भी समाप्त कर दी। अंग्रेजी अदालतों ने बडी-बडी सम्पतियों को बरबाद कर दिया देश के सुखी और समृध्द किसानों को दरिद्र बना दिया, पुरानी सामाजिक संस्थाओं को तोड डाला और परवशता को रिहाई का रस्ता बताया, निर्दोषों को फँसाया और प्रजा को असहाय बनाया।"[२]

वैदिक काल से लेकर अंग्रेजी शासन काल तक के ग्रामों के संक्षिप्त इतिहास पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि धीरे-धीरे किस प्रकार अंग्रेजी राज्य में ग्रामीण जीवन विकृंखल होता गया। एक समय था जब इन ग्रामों के संगठन और शासन की शक्ति पर देश को स्वर्ण काल होने का गौरव प्राप्त हुआ। अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करनेवाला भारत इन ग्रामों में बसता था। जिस देश के मानव धर्म और मानवीय आदर्श को प्राप्त करने की चेष्टा संपूर्ण संसार में हो रही है। वही देश अंग्रेजी राज्य शासन काल में अपनी इस अधोगति को प्राप्त हुआ और सभ्यता और संस्कृति का -हास हुआ।

---

१ डॉ.ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्यायें - पृ.१५९
जवाहर पुस्तकालय, सदर बाजार, मथुरा-२,
प्रथम संस्करण - १९७९

२ डॉ.ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्यायें - पृ.९२
जवाहर पुस्तकालय, सदर बाजार, मथुरा-२,
प्रथम संस्करण-१९७९

हमारा देश, हमारी सभ्यता और संस्कृति की सही पहचान हमारे गाँव हैं। जब हमारे गाँव की धरती तड़पने लगी तो सभ्यता को आधार कहाँ ? इस देश को दयनीय स्थिति तक पहुँचाने के लिए ही अंग्रेजी सरकार ने अनेकों कानून बनाए थे। ग्राम जीवन की इस दीन अवस्था को पूँजी पति वर्ग बढ़ावा देता रहा, मध्यवर्ग विवश घुटता रहा और निम्न वर्ग तो बेमौत मरता रहा किन्तु मानवतावादी लेखक सब देख समझकर भला कैसे मौन रहता। ग्रामों का पतन सम्पूर्ण भारत का पतन है -- प्रेमचंद की आत्मा यह पतन और अंग्रेजों की दमन नीति देख-देख कर कचोट उठी और यह तड़पन ही उनकी उपन्यासों में और विशेष रूप से 'गोदान' में ग्राम समस्याओं के रूप में अभिव्यक्त हुई।